फर्द अहकाम

न्यायालय 46 — [illegible] बनाम गेंदी देवी वगै॰

वाद संख्या / 2017 [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/5/17	आज यह दावा कार्यालय रिपोर्ट के साथ पेश हुआ। [illegible] दावा दर्ज रजिस्टर होकर [illegible] [illegible] को नोटिस जारी होकर दिनांक 23/5/17 को पेश हो।	नोटिस जारी 221 8/5/17
	सहायक [illegible] (फाइल [illegible])	
23/5/17	आज यह पत्रावली [illegible] लोक अदालत [illegible] हेतु पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 3 [illegible] उपस्थित। वादी [illegible] प्रतिवादी क्र. 1 ता 3 [illegible] पत्रावली पेश किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] नहीं [illegible] किया। वकील पक्षकारान के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया। वकील पक्षकारान को [illegible] पत्रावली [illegible] का [illegible] किया [illegible] वकील पक्षकारान ने [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] identified by [illegible] (अ. नि. गेंदी देवी) कमला (अ. नि. शारदा देवी) [illegible]
	सहायक [illegible]	

राजीनामा बाद में डिक्री किये जाने का निवेदन किया
गया चूंकि वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित
प्रतीत होता है अतः वादी का वाद बमुजिब राजीनामा
स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया जाता है। डिक्री
निर्णय पृथक से लिखी जाकर शामिल पत्रावली
हो। पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017

अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां, तहसील मौजमाबाद

शिविर प्रभारी – **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 46/2017

वाद दायरी दिनांक : 08/05/2017

निर्णय दिनांक : 23/05/2017

1. बनवारीलाल पुत्र सोनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 45 साल निवासी ग्राम खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

-- वादी

बनाम

1. गेंदी देवी पत्नि सोनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. कमला पुत्री सोनारायण पत्नी हरफूल जाति ब्राह्मण निवासी खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. शारदा पुत्री सोनारायण पत्नी स्व0 शंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री प्रहलाद कडवा**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री निरंजन कुमार पारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के आराजी खतौनी संख्या 386 के आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 1.4200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.4200 हैक्टेयर खाता संख्या 387 के आराजी खसरा नम्बर 872 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 938 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 938/2243 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 941 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 949

Scanned by CamScanner

रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 982 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 2.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम खटवाड पटवार हल्का खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्सा 1/4, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के नाम मौरूसी एवं पैतृक आराजीयात रही है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं। विवादित आराजीयात का पर्चा सम्वत 2011 में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 गोपी पुत्र गणेश तथा स्व0 गंगाराम पुत्र जगन्नाथ के नाम से जारी किया गया, अपने जीवनकाल में उक्त व्यक्ति काबिज काश्त रहे तत्पश्चात गोपी की फौती विरासत वादी के पिता सोनारायण एवं स्व0 लक्ष्मीनारायण के पक्ष में खोली गई चूंकि गंगाराम के विरासत का नामान्तरकरण लक्ष्मीनरायण पुत्र गंगाराम के नाम से तस्दीक किया गया था। वास्तविकता यह थी कि लक्ष्मीनारायण वादी के पिता सगे भाई थे तथा गंगाराम के कोई जायन्दा संतान नही होने के कारण अपने जीवनकाल में ही गंगाराम द्वारा अपन भाई गोपी के पुत्र को समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर अपने समस्त अधिकार लक्ष्मीनारायण को प्रदान कर दिये तथा कानूनन लक्ष्मीनारायण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार भी गंगाराम के नाऔलाद होने के कारण द्वितीयक वारिसों की श्रेणी में आता हैं। विवादित आराजी खतौनी संख्या 386 जो स्व0 गोपी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात रही है, जिनकी मृत्यु उपरान्त विरासत नामान्तरकरण सोनारायण एवं लक्ष्मीनारायण दर्ज बदस्तूर चला आ रहा है चूंकि लक्ष्मीनारायण के प्राकृतिक पिता गोपी थे, इसलिये विरासत का नामान्तरकरण लक्ष्मीनारायण के पक्ष में तस्दीक किया गया तथा वर्तमान में लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त आराजीयात में भी वादी अपने हिस्से अनुसार घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 387 पर गंगाराम के पश्चात 1/2 हिस्सा पर लक्ष्मीनारायण काबिज काश्त रहा है तथा अविवाहित होने के कारण कोई संतान उत्पन्न नही हुई वं शेष हिस्सा 1/2 पर सोनारायण काबिज काश्त रहे। इसी दरमियान लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो गई तथा विवादित आराजीयात जो अविभाजित आराजीयात दर्ज चली आ रही है तथा लक्ष्मीनारायण की मृत्यु उपरान्त सोनारायण जो लक्ष्मीनारायण का सगा भाई था, काबिज काश्त रहा इनकी मृत्यु पश्चात वादीगण उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में स्व0 गोपी का विरासत का

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण भी प्राकृतिक पिता होने के कारण संयुक्त रूप से सोनारायण एवं लक्ष्मीनारायण के 1/2 हिस्से का तस्दीक कर दिया गया तथा शेष 1/2 हिस्सा स्व0 गंगाराम के कोई जायन्दा पुत्र नही होने के कारण तथा मौजिज व्यक्तियों के समक्ष दत्तक पुत्र स्वीकार किये जाने के कारण लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण विरासत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया जिसका आज भी राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज चला आ रहा हैं। उपर्युक्त आराजीयात पर वादी अपने पिता एवं चाचाजी लक्ष्मीनारायण के जीवनकाल से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा परिवार के समस्त सामाजिक व वैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन वादी ही करता आ रहा है। विवादित आराजीयात जिस पर वादी के चाचाजी के द्वारा ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष एवं आपके सगे भाई श्योनारायण की मौजुदगी मे अपने जीवनकाल से ही उक्त विवादित आराजीयात मे हक एवं अधिकार निहित हो गये है तथा किसी दीगर व्यक्ति से उक्त आराजीयात से कोई लेना देना नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का पैतृक सम्पति होने के कारण एवं स्व0 लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम के द्वितीय श्रेणी के कानूनी रूप से वारिस होने के कारण खातेदारी घोषणा करवाये जाने के अधिकारी हैं। वादी के द्वारा विवादित आराजीयात की सार–संभाल हेतु दिनांक 28/04/2017 को गया तब प्रतिवादीगण दीगर व्यक्तियों के साथ आराजीयात पर खडे थे, इस पर वादी द्वारा कारण पूछा तो प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी कि हम स्व0 लक्ष्मीनारायण की विरासत हमारे पक्ष में खुलवाकर उक्त आराजीयात का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर तुम्हें बेदखल करेंगे इस कारण वादी को उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित अनुसार विवादित आराजीयात में लक्ष्मीनारायण के दर्ज हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 23/05/2017 को पत्रावली "न्याय आपके द्वार" शिविर अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां में पेश हुई। कैम्प में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री निरंजन पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार है, जिसने कैम्प में उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 386 व 387, मिलान क्षैत्रफल, खतौनी सम्वत 2011 से 2029, जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026, जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033, जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2036, जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050, जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 386 के अनुसार विवादित आराजी सोनारायण, लक्ष्मीनारायण पि. गोपी ब्राह्मण सा0 देह व खाता संख्या 387 में खातेदार सोनारायण, लक्ष्मीनारायण पि. गोपी हिस्सा 1/2, लिछमीनारायण पुत्र गंगाराम हि. 1/2 कौम ब्राह्मण सा0 देह के नाम से दर्ज है, जबकि वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित किया है कि "विवादित आराजीयात का पर्चा सम्वत 2011 में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 गोपी पुत्र गणेश तथा स्व0 गंगाराम पुत्र जगन्नाथ के नाम से जारी किया गया, अपने जीवनकाल में उक्त व्यक्ति काबिज काश्त रहे तत्पश्चात गोपी की फौती विरासत वादी के पिता सोनारायण एवं स्व0 लक्ष्मीनारायण के पक्ष में खोली गई, गंगाराम के विरासत का नामान्तरकरण लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम के नाम से तस्दीक किया गया था। वास्तविकता यह थी कि लक्ष्मीनारायण वादी के पिता सगे भाई थे तथा गंगाराम के कोई जायन्दा संतान नही होने के कारण अपने जीवनकाल में ही गंगाराम द्वारा अपन भाई गोपी के पुत्र को समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर अपने समस्त अधिकार लक्ष्मीनारायण को प्रदान कर दिये तथा कानूनन लक्ष्मीनारायण

Scanned by CamScanner

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों अनुसार भी गंगाराम के नाऔलाद होने के कारण द्वितीयक वारिसों की श्रैणी में आता है, इसलिये विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकर घोषित किया जावें।" मुताबिक सजरा अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त परिवार की होना प्रमाणित होता हैं। सजरा अनुसार स्व0 जगन्नाथ का वारिस गंगाराम होना एवं गंगाराम के कोई औलाद नही होने से उसने लक्ष्मीनारायण को गोद ले लिया। मजमे आम में जानकारी किये जाने पर वादी के कथनों की ताईद होती हैं चूंकि गंगाराम का दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण भी नाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके द्वितीय श्रैणी के वारिश मात्र वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ल. 3 ही हैं तथा विवादित आराजीयात जो कि पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होने से सोनारायण एवं लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज आराजी के कानूनन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ही वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं तथा वही घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 द्वारा राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया है एवं दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति दी हैं। ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 386 के आराजी खसरा नम्बर 105 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4200 हैक्टेयर व खाता संख्या 387 के आराजी खसरा नम्बर 872, 937, 938, 938/2243, 941, 948, 949, 980, 982, 983. 984 कुल किता 11 कुल रकबा 2.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम खटवाड़, तहसील मौजमाबाद में वादी को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2017 को न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31...

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

...लत. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू, जिला जयपुर
...न श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.
मोहनलाल पुत्र कानाराम, बनाम 1. गोदी देवी पत्नि कानाराम 2. कमला 3.
... नि. रलावता दावा बाबत घोषणा व स्था.निषे. शारदा पुत्रीयान कानाराम जाति ...
मुकदमा न. 46/2017 नि. रलावता

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रहलाद काबरा,
...मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री निरंजन कुमार पारीक
...मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

कि: वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी
खसरा नं. 386 की आराजी खसरा नम्बर 105 कुल किता 01 कुल रकबा
...200 हैक्टेयर व खसरा नं. 387 के आराजी खसरा नम्बर 872, 937,
..., 938/2243, 941, 948, 949, 980, 982, 983, 984 कुल किता 11 ...

मुबलिग ...... बाबत ......
...त मुकदमें के गय सूद वगैरह ...... फीसदी ...... आज की तारीख से
अदायगी तक ...... का अदा करें।
...सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 05 सन 2017 को
...दी गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रैक)
दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...रिक					
मीज़ान			मीज़ान		

...नु खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

अतः कुल रकबा 2.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम रतनपुरा, तह० मोहम्मदाबाद में वादी को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

कार्यवाहक कलक्टर
(राजस्व केस)
चूरू